

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 1981/कार्तिक 8, 1903
No. 350] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1981/KARTIKA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

*Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation*

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आवेष्ट

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1981

सा.का.नि. 568(अ).—भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक
वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखंड (1) और
खण्ड 4ख के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेशक
(वनस्पति) भारत सरकार के नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आवेष्ट सं. सा.का.नि.
717(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

उक्त आवेष्ट की सारणी में, मद 1 के परन्तुक में, स्तंभ (1) में “90 प्रति-
शत (नब्बे प्रतिशत)” अंक, चिह्न, कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर “70 प्रति-
शत (सत्तर प्रतिशत)” अंक, चिह्न, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह आदेश 1 नवम्बर, 1981 को प्रवृत्त होगा ।

[फाइल सं. 9-वी.पी. (5)/81]

आई. ए. सिद्दीकी, निदेशक (वनस्पति)

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1981

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Director (Vanaspati) hereby makes the following Order further to amend the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies No. G.S.R. 717(E), dated the 26th December, 1980, namely :—

In the said Order, in the Table, in the proviso to item 1, in column (1), for the figures, sign, brackets and words "90 per cent (ninety per cent)", the figures, sign, brackets and words "70 per cent (seventy per cent)" shall be substituted.

2. This Order shall come into force on the 1st day of November, 1981.

[File No. 9-VP (5)/81]

I. A. SIDDIQUI, Director (Vanaspati)